4. शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट संबंधियों का नौकरी में रखा जाना.—

(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी कम्पनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने के लिये अपने पद का या प्रभाव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रयोग नहीं करेगा.

(2) (एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई भी पदाधिकारी किसी भी ऐसी कम्पनी या फर्म में, जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार हो अथवा किसी ऐसे अन्य कम्पनी या फर्म में, जिसका शासन के साथ शासकीय तौर पर संव्यवहार हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित व्यक्ति को नौकरी स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा, परन्तु जब नौकरी स्वीकर करने के हेतु शासन की पूर्व मन्जूरी लेने के लिये प्रतीक्षा करना शक्य न हो या नौकरी स्वीकर करना अन्यथा आवश्यक समझा जाय, तो मामले की रिपोर्ट शासन को की जायेगी और नौकरी, शासन की अनुज्ञा प्राप्त होने के अध्यधीन, अस्थायी रूप से स्वीकार की जा सकेगी.

(दो) शासकीय सेवक, जैसे ही उसे ज्ञात हो कि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा किसी प्राइवेट उपक्रम में नौकरी स्वीकार कर ली गई है, नौकरी के इस प्रकार स्वीकार किये जाने का प्रज्ञापन विहित प्राधिकारी को देगा और यह भी प्रज्ञापित करेगा कि क्या उस उपक्रम के साथ उसका कोई पदीय संव्यवहार है या था :

परन्तु प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी के मामले में ऐसा प्रज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने खण्ड (एक) के अधीन पूर्व में ही शासन की मंजूरी प्राप्त कर ली है या शासन को उसकी रिपोर्ट भेज दी है.

(3) ऐसा कोई भी शासकीय सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी कम्पनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा और किसी कम्पनी या फर्म या कि अन्य व्यक्ति को कोई संविदा न तो देगा और न मंजूर करेगा. यदि उसके कुटुम्ब का कोई भी सदस्य उस कम्पनी या फर्म या उस व्यक्ति के अधीन नियोजित हो या यदि वह या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी अन्य रीति में ऐसे विषय या संविदा में हित रखता हो और शासकीय सेवक प्रत्येक ऐसा विषय या ऐसी प्रत्येक संविदा अपने पदीय वरिष्ठ को निर्देशित करेगा और उसके पश्चात् वह विषय या संविदा का निपटारा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा, जिसको कि वह निदेश किया गया हो.

5. राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना.—

(1) कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करेगा.

(2) प्रत्येक शासकीय सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या कार्यकलाप में, जो विधि द्वारा स्थापित शासन के लिये विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे और जहां शासकीय सेवक अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेने या उसकी सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, वहां वह शासन को इस आशय की रिपोर्ट करेगा.

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि क्या कोई दल राजनैतिक दल है या क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आंदोलन अथवा कार्यकलाप उपनियम (2) की व्याप्ति के भीतर आता है तो उस पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा.

(4) कोई भी शासकीय सेवक, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में, न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न उसके सम्बंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा :

परन्तु—

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिये अर्ह शासकीय सेवक मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु जहां वह ऐसा करे, वहां उस रीति का, जिसमें वह मत देना चाहता हो या उसने मत दिया हो, कोई संकेत नहीं देगा,

(दो) कोई भी शासकीय सेवक, केवल इस कारण से इस उपनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता हुआ नहीं समझा जायेगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्य के सम्यक पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता देता है,

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष–3